

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**

**अधिसूचना**

संख्या-4/क्ष०स्था० अमीन संवर्ग नियमावली संशोधन-01/2015-

(4)/रा०,पटना-15, दिनांक- / /

**बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016**

भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह नियमावली बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 के नियम-6 के उपनियम(1) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली 2013 के नियम-6 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

(1) अमीन के पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा अमीन के पदों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक एवं अनुभव के लिए अवधारित अंकों को जोड़कर, घोषित परीक्षाफल के अनुसार, प्राप्त अनुशंसा के आधार पर, की जायेगी।

3. बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 के नियम-6 के उपनियम (3) का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली 2013 के नियम 6 का उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(3) (a) अमीन पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से इन्टरमीडिएट (10+2) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।

(b) राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को, उनके अनुभव के आधार पर, अंक दिये जायेंगे। अनुभव के लिए अधिकतम अंक 25 होंगे तथा प्रतिवर्ष के अनुभव के लिए 5 अंक दिये जायेंगे।

परन्तु यह कि, अनुभव की गणना कैलेंडर वर्ष के अनुसार की जायेगी एवं एक कैलेंडर वर्ष में छः माह से अधिक के अनुभव को एक वर्ष एवं छः माह से कम अनुभव को शून्य वर्ष माना जायेगा।”

4. बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2013 के नियम-7 का प्रतिस्थापन।-उक्त नियमावली, 2013 का नियम- 7 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“7- लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम।-अमीन के पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा 75 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें निम्नलिखित तीन भाग होंगे :-

(i) प्रथम खण्ड।-सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य हिन्दी-25 अंक

(ii) द्वितीय खण्ड।-सामान्य गणित 25 अंक

(iii) तृतीय खण्ड।-अमानत से सम्बन्धित प्रश्न 25 अंक”

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था० अमीन सवर्ग नियमावली संशोधन-01/2015-

(4)/रा०,पटना-15, दिनांक- / /

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-4/क्षेत्रस्था० अमीन सवर्ग नियमावली संशोधन-01/2015-445 (4)/रा०,पटना-15, दिनांक-15/06/16

प्रतिलिपि :-महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी \*प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/सभी समाहर्ता/सभी विभागीय निदेशालय/मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार, विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव/राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/16  
(व्यास जी),  
प्रधान सचिव।

\* FAX  
E-Mail

**Government of Bihar**  
**Department of Revenue & Land Reforms**

**NOTIFICATION**

**Bihar Amin Cadre (Amendment) Rules, 2016**

No.-4/Ksh.Estt.\_Bihar Amin Cadre (Revised) Rules, 2015

Ra, Patna-15, Dated- / /2016

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Amin cadre rule 2013 :-

**1 Short name, extent and commencement :-** (i) These rules may be called as The Bihar Amin Cadre (Amendment) Rules, 2016

**2** It shall extend to the whole of the state of Bihar.

**3** It shall come in to force immediately.

**2 Substitution of sub rule (1) of rule 6 of The Bihar Amin Cadre Rules, 2013 :-** Sub rule (1) of rule 6 of the said rules 2013 shall be substituted by the following :-

"(1) Direct appointment will be to the posts of the Amins on will be made as per the result declared by the Commission by adding the marks obtained in Competitive Examination held by the Commission for the posts of Amins and the marks determined for experience and on the basis of recommendation received.

**3 Substitution of sub rule (3) of Rule 6 of The Bihar Amin Cadre Rules 2013 :-** Sub rule 3 of Rule of 6 the said rules 2013 shall be substituted by the following :-

"(3) (a)- For appointment to the post of amin the candidate must have passed the intermediate (10+2) or any other equivalent from examination any recognized board/equivalent institution.

(b) Mark will be given to the experienced amin on the basis of experience, obtained for services in the state government. The maximum marks for experience will be 25 and 5 marks for each year will be given.

Provided that calculation of experience will be made as per the calendar year and more than six months of experience will be counted as one year and less than six months of one year will be counted as nil (zero) year."

4 Substitution of rule 7 of the Bihar Amin Cadre Rules 2013 :- Rule 7 of the said rules 2013 shall be substituted by the following :-

"7- Syllabus for the Competitive Examination :- Competitive Examination of marks 75 will be held by the Commission for the appointment to the posts of Amin. There will one question paper in which there will be following three parts :-

- (i) part-1 General knowledge, current affairs, General Science and General Hind-25 marks.
- (ii) part-2 General math-25 marks
- (iii) part-3 Question Related with Amanat-25 marks."

By the order of Governor of Bihar

S/d-

(Vyas Ji)

Principal Secretary

Ra, Patna-15, Dated- / /2016

No.-4/Ksh.Estt.\_Bihar Amin Cadre (Revised) Rules, 2015

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

S/d-

(Vyas Ji)

Principal Secretary

No.-4/Ksh.Estt.\_Bihar Amin Cadre (Revised) Rules, 2015-445(4) Ra, Patna-15, Dated-15/06/2016

Copy forwarded to Secretary to the Governor of Bihar/Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Bihar/Chief Secretary, Bihar/All Principal Secretary & Secretary/All Head of the Departments/All \*Divisional Commissioners/All \*District Magistrates/Secretary, Bihar Staff Selection Commission, Bihar, Patna/ Secretary, Bihar Public Service Commission, Bihar, Patna/ All Departmental Directorate/Principal Private Secretary to the Principal Secretary, Revenue & Land Reforms Deptt./ Private Secretary to the Hon'ble Minister, Revenue & Land Reforms Deptt. and All officers of Revenue & Land Reforms Deptt., for information and necessary action.

21/6  
(Vyas Ji)

Principal Secretary

\* Fix  
E-Mail ✓